

स्थलीय निरीक्षण के संबंध में आवेदित संस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश – 2026

- संस्था द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण संस्था के प्रतिनिधि (अधिकृत व्यक्ति) की उपस्थिति में निरीक्षण दल द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में निरीक्षण के समय संस्था निरीक्षण दल को संबंधित व्यक्ति हेतु एक अथराइजेशन लेटर देना सुनिश्चित करें।
- सम्पूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात् संस्था द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र निरीक्षण दल को उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यह अंकित हो कि निरीक्षण प्रक्रिया संस्था के प्रतिनिधि (अधिकृत व्यक्ति) की उपस्थिति में पूर्ण हुई है।
- संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण प्रक्रिया में निरीक्षण दल को पूर्ण सहयोग दिया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की दृष्टि में संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को संस्था द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम से संबंधित जो अभिलेख/प्रपत्र उपलब्ध कराये जायेंगे, सिर्फ वही मान्य होंगे। निरीक्षण के उपरान्त संस्था द्वारा किसी भी माध्यम से प्रेषित/उपलब्ध कराये गये अभिलेख/प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को आवेदित पाठ्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित अभिलेखों/प्रपत्रों की मूल प्रति निरीक्षकों के अवलोकन हेतु तथा छायाप्रति निरीक्षकों को उपलब्ध कराने हेतु तैयार रखें।

प्रपत्र/अभिलेख :

1. संस्था (सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी) का अद्यतन रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
2. संस्था के बाइलाज/मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएसन।
3. प्रश्नगत पाठ्यक्रम का केन्द्र खोलने हेतु सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा पारित रिजोल्यूशन/प्रस्ताव।
4. संस्था की बैलेन्सशीट (विगत 2 वर्षों की)।
5. प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि (टीचिंग ब्लॉक व हास्टल ब्लॉक) एवं चिकित्सालय की भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण-पत्र/प्रपत्र जो राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण (तहसीलदार) से कम न हो से प्रमाणित प्रति/खतौनी की मूल प्रति अथवा उपनिबन्धक कार्यालय में पंजीकृत बिक्रय-विलेख, यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो और भूमि कृषि योग्य हो तो निबन्धन धारा 143 के अर्न्तगत भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रमाणित प्रति।
6. टीचिंग ब्लॉक, हास्टल ब्लॉक एवं चिकित्सालय का प्रमाणित मानचित्र (ब्लू प्रिन्ट)।
7. अग्नि शमन प्रमाण-पत्र (टीचिंग ब्लॉक, हास्टल ब्लॉक एवं चिकित्सालय) तीनों का ऑनलाईन पद्धति वाला स्थायी (पूर्णता कम्प्लीशन) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
8. चिकित्सालय का सी0एम0ओ0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
9. चिकित्सालय का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण-पत्र।

10. चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों का विवरण (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग लेटर तथा विगत तीन माह की सैलरी स्लिप)।
11. चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग कार्मिकों का विवरण (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग लेटर तथा विगत तीन माह की सैलरी स्लिप)।
12. चिकित्सालय में कार्यरत पैरामेडिकल कार्मिकों का विवरण (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग लेटर तथा विगत तीन माह की सैलरी स्लिप)।
13. चिकित्सालय की विगत दो वर्ष की आडिटेड बैलेन्सशीट।
14. चिकित्सालय के पी0एम0जे0ए0वाई0 में पंजीकृत होने की सूचना। यदि चिकित्सालय पी0एम0जे0ए0वाई0 में पंजीकृत है तो विगत एक वर्ष की प्रीऑथ के संबंध में अभिलेख सहित विवरण।
15. चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण रजिस्टर (ANC Register) का विगत तीन माह का रिकार्ड/चिकित्सालय के विगत तीन माह के ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 का रिकार्ड।
16. डिग्री नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/सम्बद्ध विश्वविद्यालय का सहमति-पत्र (Letter of Intent)।